16/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2023	पत्रावली वकील अपीलांट श्री रोशनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आवश्यक सुनवाई व अपील को जरिये विड्रोल खारिज करने बाबत पर आज पेश हुई। वकील अपीलांट श्री रोशनलाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मामला विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लंबित है, जिसका वे निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिए अपील को जरिये विड्राल खारीज करवाना चाहते है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विड्रॉल खारिज फरमायी जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अपील को आगे नहीं चलाये जाने एवं जरिये विड्रो खारिज करवाने से प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। 09.X.23 ...षक :- राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

...597/2020 ...